


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2010—पौष 24, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

क्र. 291-29-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 1 जनवरी, 2010 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०१०.

रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००९.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९०८ का सं. १६ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा १७ का संशोधन.
५. धारा २२-क का अंतःस्थापन.
६. धारा ३४ का संशोधन.
७. धारा ३५ का संशोधन.
८. धारा ६९ का संशोधन.
९. धारा ८०-ख का अंतःस्थापन.
१०. धारा ८२-ख का अंतःस्थापन.
११. धारा ८९-क से ८९-ग का अंतःस्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०१०.

रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००९.

[दिनांक १ जनवरी २०१० को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १४ जनवरी, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९०८ का सं. १६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का सं. १६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड(४) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(४-क) “इलेक्ट्रॉनिक फार्म” का वही अर्थ होगा जैसा कि उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० (२००० का सं. २१) की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (द) में समनुदेशित किया गया है;”.

धारा १७ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ड) में, कॉलन के स्थान पर अर्धविराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(च) कोई दस्तावेज, जो किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय की किसी संविदा के प्रवर्तन या उसे प्रभावी करने हेतु तात्पर्यित है;

(छ) स्थावर संपत्ति के किसी भी रूप में विक्रय से संबंधित मुख्तारनामा.”;

(दो) उपधारा (२) में, —

(क) खण्ड (पांच) में, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “उपधारा (१-क) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज से भिन्न कोई भी दस्तावेज” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “उपधारा (१) के खण्ड (च) तथा (छ) और उपधारा (१-क) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न कोई दस्तावेज” स्थापित किए जाएं;

(ख) विद्यमान स्पष्टीकरण का लोप किया जाए.

धारा २२-क का अंतःस्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा २२ के पश्चात्, भाग-३ में निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

ऐसी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण के लिये स्वीकार नहीं किया जाना जो उसी व्यक्ति द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के द्वारा पूर्व में ही हस्तांतरित कर दी गई हो.

“२२-क. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय से संबंधित किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण के लिये स्वीकार नहीं करेगा, यदि उसमें समाविष्ट संपत्ति को उसी व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि या समनुदेशिनी या उसके अधिकर्ता (एजेंट) द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा पूर्व में ही हस्तांतरित या स्थायी रूप से अन्यसंक्रांत कर दिया गया हो, जब तक कि पूर्व में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को किसी न्यायालय के आदेश द्वारा रद्द नहीं कर दिया गया हो.”.

६. मूल अधिनियम की धारा ३४ में,—

धारा ३४ का संशोधन.

उपधारा (१) में,—

(क) अंक और शब्द “४१, ४३, ४५, ६९, ७५, ७७, ८८ और ८९”, के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “४१, ४३, ४५, ६९, ७५, ७७, ८८, ८९, ८९-क और ८९-ख” स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (१) के विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि जब ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रस्तुत किया जाए, तो व्यक्तिगत उपसंज्ञाति अपेक्षित नहीं होगी.”;

(दो) उपधारा (३) में, खण्ड (ग) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु जब ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रस्तुत किया जाए तो जांच ऐसी रीति में की जाएगी जैसी कि विहित की जाए.”;

(तीन) उपधारा (४) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “उपधारा (१) का परन्तुक” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक “उपधारा (१) का प्रथम परन्तुक” स्थापित किए जाएं.

७. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उपधारा (२) में, पूर्णविराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा ३५ का संशोधन.

“परन्तु जब दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रस्तुत किया जाता है तो इस निमित्त विहित किए गए नियमों द्वारा अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा.”.

८. मूल अधिनियम की धारा ६९ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ट) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा ६९ का संशोधन.

“(ठ) जब दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रस्तुत किया जाता है तब दस्तावेज प्रस्तुत करने, ग्राह्य करने हेतु उपसंज्ञाति, पृष्ठांकन करने की प्रक्रिया, हस्ताक्षर तथा मुद्रा निर्धारण करने की रीति, रजिस्ट्रीकरण फीस तथा अन्य फीस के भुगतान करने का ढंग और किसी अन्य प्रक्रिया को विनियमित करना.”.

९. मूल अधिनियम की धारा ८०-क के पश्चात्, भाग-१३ में, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ८०-ख का अन्तःस्थापन.

“८०-ख. राज्य सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, संपूर्ण मध्यप्रदेश या उसके किसी भाग में, धारा ७८ के खण्ड (क) से (झ) तक में प्रतिपादित किए गये किसी विषय या विषयों के बारे में या तो सामान्यतः या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मामलों में और सामान्यतः व्यक्तियों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों के बारे में देय फीस में कमी कर सकेगी या छूट दे सकेगी.”.

फीस में कमी करने या छूट देने की शक्ति.

१०. मूल अधिनियम की धारा ८२-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ८२-ख का अन्तःस्थापन.

“८२-ख. कोई भी व्यक्ति, जो धारा ८९-ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के समक्ष उस धारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर नोटिस फाइल करने में असफल रहता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा.”.

धारा ८९-ख के अधीन नोटिस फाइल करने में असफल रहने पर दण्ड.

धारा ८९-क से धारा ८९-म का अंतःस्थापन.

राजस्व वसूली अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यायालयीन डिक्री की प्रतियां, विक्रय प्रमाण-पत्र, कुर्की आदेश, लिखित मांग, रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को भेजना और रजिस्टर में फाइल करना.

११. मूल अधिनियम की धारा ८९ के पश्चात्, भाग-१५ में, शीर्ष "प्रकीर्ण" के अधीन निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

" ८९-क. (१) प्रत्येक न्यायालय जो—

(क) किसी व्यक्ति के पक्ष में स्थावर संपत्ति में कोई अधिकार, हक या हित सृजित, घोषित, अंतरित, सीमित या निर्वापित करने संबंधी कोई डिक्री या आदेश, या

(ख) स्थावर संपत्ति की अंतरिम कुर्की या कुर्की के लिये या ऐसी कुर्की से किसी स्थावर संपत्ति की निर्मुक्ति के लिये कोई आदेश, पारित करता है, वह इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी डिक्री या आदेश की एक प्रति, संपत्ति को वर्णित करने वाले एक ज्ञापन के साथ यथासाध्य धारा २१ द्वारा अपेक्षित रीति में उस रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी डिक्री या आदेश में समाविष्ट पूरी स्थावर संपत्ति या उसका कोई भाग अवस्थित है, और ऐसा अधिकारी ज्ञापन की प्रति उसकी पुस्तक क्रमांक १ में फाइल करेगा:

परन्तु जहां कोई स्थावर संपत्ति एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित है, वहां ऐसे पदाधिकारियों में से प्रत्येक पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर की संपत्ति के संबंध में इस उपधारा में उपदर्शित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा.

(२) राजस्व वसूली अधिनियम, १८९० (१८९० का १) को सम्मिलित करते हुए, तत्समय प्रवृत्त राजस्व वसूली से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन व्यतिक्रमी की किसी स्थावर संपत्ति की कुर्की के पूर्व, विक्रय प्रमाण-पत्र या लिखित मांग जारी करने वाला प्रत्येक अधिकारी—

(क) धारा २१ के उपबंधों के अनुसार, यथासाध्य, संपत्ति का वर्णन करते हुए, ज्ञापन के साथ, ऐसे विक्रय प्रमाण-पत्र या लिखित मांग की एक प्रति;

(ख) जहां ऐसी लिखित मांग वापस ले ली जाती है या संपत्ति की कुर्की वापस ले ली जाती है या संपत्ति विक्रय कर दी जाती है और विक्रय की पुष्टि हो जाती है, धारा २१ के उपबंधों के अनुसार, यथासाध्य, उस तथ्य को दर्शाते हुए तथा उस संपत्ति को वर्णित करते हुए, उस रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह पूरी स्थावर संपत्ति या उसका कोई भाग अवस्थित है, जिसके संबंध में लिखित मांग की गई है, एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ऐसी लिखित मांग और ज्ञापन की एक प्रति उसकी पुस्तक क्रमांक १ में फाइल करेगा :

परन्तु जहां स्थावर संपत्ति एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित है, वहां ऐसे प्रत्येक पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर की संपत्ति के संबंध में उपधारा (२) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा.

हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक किए जाने के पश्चात् बंधककर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को सूचना भेजा जाना तथा पश्चात्पूर्वी अंतरिती के पक्ष में प्रतिकर के लिये उपबंध.

८९-ख. (१) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने संपत्ति अंतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. ४) की धारा ५८ के खण्ड (च) के अधीन हक विलेखों के निक्षेप द्वारा स्थावर संपत्ति बंधक की है, वह बंधक की तारीख से तीस दिन के भीतर, अपना नाम तथा पता और बंधकदार का नाम तथा पता, बंधक की तारीख, बंधक से प्राप्त रकम, संदेय ब्याज की दर, निक्षेप किए गये दस्तावेजों की सूची और धारा २१ के अनुसार स्थावर संपत्ति के ब्यौरे देते हुए, उस रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के समक्ष, जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर पूरी संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग अवस्थित है, संपत्ति बंधक किए जाने की प्रज्ञापना की सूचना फाइल करेगा और उक्त पदाधिकारी उसे, उसकी पुस्तक क्रमांक १ में फाइल करेगा :

परन्तु यदि ऐसी बंधक की गई संपत्ति एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर आती है, तो ऐसे प्रत्येक पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाली संपत्ति के संबंध में इस उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा.

(२) यदि कोई व्यक्ति, जिसने उपरोक्तानुसार संपत्ति बंधक की है, उपधारा (१) में कथित किए गए अनुसार, तीस दिन के भीतर, यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या पदाधिकारियों के समक्ष सूचना फाइल करने में असफल रहता है और तीसरे पक्षकार के साथ उक्त स्थावर संपत्ति, जो बंधक की विषय वस्तु है, को प्रभावित करने वाले किसी संव्यवहार में भाग लेता है, तब ऐसा संव्यवहार शून्य होगा और तीसरा पक्षकार भुगतान की तारीख से १२ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ उसके द्वारा भुगतान की गई कोई भी रकम के प्रतिदाय का हकदार होगा और साथ ही अपने अंतरक से, उसके द्वारा सहन किए गए नुकसान हेतु प्रतिकर का भी हकदार होगा.

(३) उपधारा (२) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे अंतरिती द्वारा वसूली योग्य रकम, बंधककर्ता की बंधक संपत्ति में के ब्याज पर प्रभार होगी.

८९-ग. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, धारा ८९-क और ८९-ख में निर्दिष्ट दस्तावेजों या सूचनाओं को इस अधिनियम के अधीन समुचित पुस्तक में फाइल करने से संबंधित सभी प्रयोजनों के लिये नियम बना सकेगी.

धारा ८९-क और धारा ८९-ख में निर्दिष्ट सूचनाओं की सत्य प्रतियां फाइल करने के लिये नियम बनाने की शक्ति.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबंध होगा—

(क) वह रीति, जिसमें सूचना या दस्तावेजों की सत्य प्रतियां तैयार की जाएंगी; और

(ख) सूचनाओं या सत्य प्रतियों को फाइल करने की रीति.

(३) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.”

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

क्र. 292-29-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 4 of 2010.

THE REGISTRATION (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2009.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Central Act No. 16 of 1908 in its application to the State of Madhya Pradesh.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 17.
5. Insertion of Section 22-A.
6. Amendment of Section 34.
7. Amendment of Section 35.
8. Amendment of Section 69.
9. Insertion of Section 80-B.
10. Insertion of Section 82-B.
11. Insertion of Section 89-A to 89-C.

MADHYA PRADESH ACT

No. 4 OF 2010.

THE REGISTRATION (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2009.

[Received the assent of the President on the 1st January, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th January, 2010.]

An Act further to amend the Registration Act, 1908 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Registration (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2009.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Central Act, No. 16 of 1908 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Section 2.

3. In Section 2 of the Principal Act, after clause (4), the following clause shall be inserted, namely:—

“(4-A) “Electronic from” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000);”.

Amendment of Section 17.

4. In Section 17 of the Principal Act,—

(i) in sub-section (1), in clause (e), for colon, the semi colon shall be substituted and thereafter the following clauses shall be inserted, namely:—

“(f) any document which purports or operates to effect any contract for sale of any immovable property;

(g) power of attorney relating to sale of immovable property in any way.”;

(ii) in sub-section (2),—

- (a) in clause (v), for the words, bracket, figure and letter “any document other than the document specified in sub-section (1A)”, the words, brackets, figures and letters “any document other than the document's specified in clause (f) and (g) of sub-section (1) and sub-section (1A)” shall be substituted;
- (b) the existing explanation shall be omitted.

5. After Section 22 of the Principal Act, the following Section shall be inserted in Part III, namely:—

Insertion of Section 22-A.

“22-A. Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, no Registering Officer shall accept for Registration any document relating to the sale of any immovable property, if the property comprised therein has already been conveyed or permanently alienated by the same person or his representative, assign or agent in favour of any other person by a registered document, unless the previous registered document is cancelled by order of a Court.”.

Non-acceptance of registration of document regarding the property already conveyed by a registered document by the same person.

6. In Section 34 of the Principal Act,—

Amendment of Section 34.

(i) in sub-section (1),—

- (a) for the figures and word “41, 43, 45, 69, 75, 77, 88 and 89”, the figures, letters and word “41, 43, 45, 69, 75, 77, 88, 89, 89-A and 89-B” shall be substituted;
- (b) in existing proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“ Provided further that, when such document is presented in electronic form, personal appearance shall not be required.”;

(ii) in sub-section (3), in clause (c), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that, when such document is presented in electronic form, the enquiry shall be made in such manner as may be prescribed.”;

(iii) in sub-section (4), for the words, bracket and figure “proviso to sub-section (1)”, the words, bracket and figure “first proviso to sub-section (1)” shall be substituted.

7. In Section 35 of the Principal Act, in sub-section (2), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 35.

“Provided that when the document is presented in electronic form the procedure laid down by rules prescribed in this behalf shall be followed.”.

8. In Section 69 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (k), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 69.

“(1) regulating the procedure for presentation of document, appearance for admission, endorsements, manner of fixing signature and seal, mode of payment of Registration Fees and other Fees and any other process when the document is presented in electronic form.”.

Insertion of
Section 80-B.

9. After Section 80-A of the Principal Act, the following Section shall be inserted in Part XIII, namely:—

Power to reduce
or remit fees.

“80-B. The State Government may, if it is necessary in the public interest so to do, by order published in the official Gazette, reduce or remit, in the whole or part of the Madhya Pradesh, the fees payable in respect of any matter or matters enunciated in clause (a) to (i) of Section 78, either generally or for any particular class or classes of cases and in respect of persons generally or of any particular class or classes of persons.”

Insertion of
Section 82-B.

10. After Section 82-A of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

Punishment for
failure to file
notice under
Section 89-B.

“82-B. Any person who fails to file a notice under Section 89-B before the Registering Officer within the period specified in that Section shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend upto three years and shall also be liable to fine.”

Insertion of
Section 89-A to
89-C.

11. After Section 89 of the Principal Act, the following Sections shall be inserted in Part XV under the heading “Miscellaneous”, namely:—

Copies of Court
decrees, sale cer-
tificates by Com-
petent Author-
ity, attachment
orders, written
demands under
Revenue Recov-
ery Act to be sent
to Registering
Officers and filed
in registers.

“89-A. (1) Every Court passing—

- (a) any decree or order creating, declaring, transferring, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in immovable property in favour of any person, or
- (b) an order for interim attachment or attachment of immovable property or for the release of any immovable property from such attachment,

shall, in accordance with the rules made in this behalf, send a copy of such decree or order together with a memorandum describing the property as far as may be practicable, in the manner required by Section 21, to the Registering Officer within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of immovable property comprised in such decree or order is situate, and such officer shall file the copy of the memorandum in his Book No. 1:

Provided that where the immovable property is situate within the local limits of the jurisdiction of more than one Registering Officer, the procedure indicated in this sub-section shall be followed in respect of the property within the jurisdiction of each of such officers.

- (2) Every Officer issuing a sale certificate or a written demand before the attachment of the immovable property of a defaulter under the provisions of any law relating to revenue recovery for the time being in force including the Revenue Recovery Act, 1890 (No. 1 of 1890) shall—

- (a) send a copy of such sale certificate or written demand together with a memorandum describing the property, as far as may be practicable, in accordance with the provisions of Section 21;
- (b) where such written demand is withdrawn or attachment of property is lifted or the property is sold and sale is confirmed, send a memorandum indicating that fact and describing that property, as far as may be practicable, in accordance with the provisions of Section 21,

to the Registering Officer within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the immovable property which the written demand relates is situate and such Registering Officer shall file a copy of the written demand and the memorandum in his Book No. 1:

Provided that where the immovable property is situated within the local limits of the jurisdiction of more than one Registering Officer, the procedure specified in clauses (a) and (b) of sub-section (2) shall be followed in respect of the property within the jurisdiction of each of such officers.

- 89-B. (1) Every person who has mortgaged immovable property by depositing title deeds under clause (f) of Section 58 of the Transfer of Property Act, 1882 (No. 4 of 1882) shall within thirty days from the date of the mortgage, file a notice of intimation of his having so mortgaged the property, giving details of his name and address, and name and address of the mortgagee, date of mortgage, amount received under the mortgage, rate of interest payable list of documents deposited and description of immovable property as detailed in Section 21, before the Registering Officer within the limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property is situated and the said officer shall file the same in his Book No. 1:

Notice to be sent to Registering Officer by mortgagor after creation of mortgage by depositing title deeds and provision for compensation in favour of subsequent transferee.

Provided that if the property so mortgaged falls within the jurisdiction of more than one Registering Officer, the procedure specified in this sub-section shall be followed in respect of the property within the jurisdiction of each such Officers.

- (2) If the person who has mortgaged the property as aforesaid fails to file a notice within thirty days as stated in sub-section (1) before the Registering Officer or Officers, as the case may be, and enters into any transaction in relation to or affecting the immovable property which is the subject matter of the mortgage, with a third party, such a transaction shall be void and the third party shall be entitled to refund of any amount paid by him together with simple interest at the rate of 12 percent per annum from the date of payment and also to compensation of any damages suffered by him, from his transferor.
- (3) The amount recoverable by such transferee as specified in sub-section (2) shall be a charge on the interest of the mortgagor, in the mortgaged property.

- 89-C. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for all purposes connected with the filing of copies of documents or notices referred to in Sections 89-A and 89-B, in the appropriate book under this Act.

Power to make rules for filing of true copies of documents and notices referred to in Section 89-A and 89-B.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—
- (a) the manner in which notices or true copies of document shall be prepared; and
- (b) the manner of filing the notices or true copies.
- (3) Every rule made under this Section shall be laid, as soon as may be after it is made, on the table of the Legislative Assembly.”